

>

Title: Need to make provision for reservation in Promotion to various posts for SCs/STs in the country.

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पर्याप्ति):** सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अनुशूलित जाति और अनुशूलित जनजाति के रिजर्वेशन के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी। 65 सालों से देश आज्ञाद हुआ है और संविधान के निर्माता बाला साहब अंडेकर ने दलितों को आरक्षण का एक प्रावधान दिया था। मगर मैं दुख के साथ कहता हूँ कि दलितों का जितना उत्कर्ष होना चाहिए, उनके लिए जितना कार्य होना चाहिए, उतना कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। अभी-अभी उत्तर प्रदेश के संटर्भ में उत्तरात्म न्यायालय ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ जो फैसला सुनाया है, वह दलितों के लिए एक अहम घात है। मैं न्यायालय का आदर करता हूँ, मगर दलितों का आरक्षण आज भी नहीं देखा जाता है, वर्त एक और वर्त दो में दलितों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह जितनी मात्रा में होना चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे दलितों को आशी नुकसान होगा। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि दलितों को न्याय देने के लिए संविधान संशोधन बिल ताकर इसी सत्र में रिजर्वेशन इन प्रमोशन में दलितों के प्रतिनिधित्व को बरकरार रखना चाहिए। यदि यह इस सत्र में नहीं हो सकता है तो उनके लिए विशेष सत्र बुलाकर दलितों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लाने के लिए संविधान संशोधन बिल लाना चाहिए।

Arjun Ram Meghwal